प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोत्साहन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित ''राज्य स्तरीय निगरानी सह समन्वयक समिति'' की बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 का कार्यवृत्त-

<u>उपस्थितिः-</u>

1. श्री अनूप चन्द्र पाण्डे, अवस्थापना एंव औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. श्री अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव, पर्यटन/सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. श्रीमती अलकनन्दा दयाल, सचिव, अवस्थापना एंव औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. श्री एम पी अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. श्री सूर्य पाल गंगवार, विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. श्री देवीदास, विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. श्री अखण्ड प्रताप सिंह, विशेष सचिव पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. श्री रणधीर सिंह, विशेष सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. श्री शैलेश कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. श्री डी0के राव, निदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस, लखनऊ।
13. श्री ए0के शर्मा, एयरपोर्ट निदेशक, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लखनऊ।
14. श्री ज्योतिराज चौधरी, डयूटी मैनेजर, जेट एयरवेज, लखनऊ।
15. श्री एस0ए0खान, स्टेशन मैनेजर एयर इंडिया, लखनऊ।

1- विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि आरसीएस योजना के अन्तर्गत प्रथम चक्र की बिडिंग में उत्तर प्रदेश के आरसीएस स्टेशनों से सम्बन्धित निम्नलिखित रूट्स निम्नलिखित एयर ऑपरेटर्स को अवार्ड हुए हैं:-

(अ) एयर उड़ीसा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड
I. ग्वालियर > लखनऊ > ग्वालियर
II. दिल्ली > कानपुर(चकेरी) > वाराणसी > कानपुर(चकेरी) > दिल्ली

(ब) एयरलाइन्स एलाइड सर्विसेज लिमिटेड
जयपुर > आगरा > जयपुर

(स) स्पाइसजेट लिमिटेड
दिल्ली > कानपुर(चकेरी) > दिल्ली

(द) डेक्कन चार्जर्स प्राइवेट लिमिटेड
दिल्ली > आगरा > दिल्ली

द्वितीय चक्र की बिडिंग प्रक्रियाधीन है और अभी तक इसका परिणाम घोषित नहीं हुआ है। राज्य सरकार को आशा है कि द्वितीय चक्र की बिडिंग के परिणामों में राज्य सरकार को व्यापक सफलता प्राप्त होगी और द्वितीय बिडिंग में विचाराधीन प्रदेश की अधिकांश आरसीएस स्टेशनों को एयर कनेक्टिविटी प्राप्त हो जाएगी।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- समुचित विचार विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गएः-

(क) आरसीएस की प्रथम बिडिंग में चयनित पॉच रूट्स में से आगरा-जयपुर रूट को एलायन्स एयर द्वारा संचालित कर दिया गया है। किन्तु अन्य चार रूट्स को अभी संचालित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, महोदय की ओर से सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखकर अन्य रूट्स पर हवाई सेवाएं शीध्र प्रारम्भ किए जाने हेतु अनुरोध कर लिया जाए।

(ख) उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 के अन्तर्गत आरसीएस स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करने की आवश्यकता होगी। इस हेतु एनआईसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर विकसित करने का कार्य तत्काल प्रारम्भ करा दिया जाए। 01 माह की अवधि के उपरान्त सॉफ्टवेयर विकसित करने की कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

(ग) उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 के अन्तर्गत आरसीएस स्कीम हेतु प्रपत्रों, प्रारूपों एवं प्रक्रियाओं को अन्तिम रूप देने हेतु आरसीएस स्कीम के संचालन हेतु नागरिक उड्डयन निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए।

(घ) प्रस्तावित आरसीएस एयरपोर्टस पर ATF की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, नागरिक उडड्यन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में विभिन्न ऑयल मार्केटिंग कम्पनीज के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया जाए एवं ATF की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक कार्य योजना तैयार कर ली जाए।

(ड़) उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 के अन्तर्गत निम्नलिखित विभागों के द्वारा अपने शासनादेश जारी कर दिए गए हैः-

1- संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग
2- पर्यटन विभाग
3- सूचना विभाग
4- ऊर्जा विभाग
5- गृह विभाग

(च) अभी तक निम्नलिखित विभागों द्वारा अपेक्षित शासनादेश निर्गत नहीं किए गए हैं। अतः विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन द्वारा सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क कर तत्काल शासनादेश जारी कराए जाएं:-

1- नगर विकास विभाग
2- लोक निर्माण विभाग
3- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
4- परिवहन विभाग

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(छ) RCS की द्वितीय बिड प्रक्रिया 02 नवम्बर, 2017 को समाप्त होगी। उसके पश्चात कुछ दिनों बाद उसके परिणामों की घोषणा की जाएगी। एयरलाइन्स द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न रूट्स पर बिडिंग किए जाने की सम्भावना है। रूट अवार्ड होने के उपरान्त राज्य सरकारों / एयरपोर्ट अथॉरिटी को एयरपोर्ट विकसित करने हेतु कुछ समय (लगभग 06 माह) मिलने की सम्भावना है। उत्तर प्रदेश स्थित 9 unserved airstrips RCS की द्वितीय बिड प्रक्रिया में (Meerut, Moradabad, Aligarh, Azamgarh, Chitrakoot, Saharanpur, Jhansi, Allahabad, Bareilly) को हवाई मार्गों से जोड़े जाने की सम्भावना है, जिनका विवरण निम्नवत है:-

Details of Airports/Airstrips:

NON-RCS Owned and operated by AAI	**RCS-1** Owned, (being) developed and (to be) operated by AAI but security & Fire Services etc to be provided by GoUP	**RCS-2** Owned by Defence, Civil Enclave to be developed and (to be) operated by GoUP* and Security & Fire Services etc to be provided by GoUP	**RCS-3** Owned by GoUP, terminal to be developed and (to be) operated by GoUP* and Security & Fire Services etc to be provided by GoUP
Lucknow	Agra	Jhansi	Meerut**
Varanasi	Kanpur	Saharanpur	Moradabad**
Gorakhpur	Allahabad		Aligarh
	Bareilly		Azamgarh
			Chitrakoot
			Shravasti
			Myiurpur-Korba (Dist-Sonebhadra Div-Mirzapur)

* Decision has to be taken regarding operation of these airports.

** These airstrips has been transferred to AAI under MoU for development and operaton.

उपरोक्तानुसार झांसी, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, तथा म्योरपुर की एयर स्ट्रिपस् को No-Frills एयरपोर्ट्स में अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी। इस क्रम में यह निर्णय लिया गया कि समयबद्धता को देखते हुए ''प्री-इंजीनियर्ड / प्री-फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स'' पर विभाग विचार कर ले।

(ज) समिति की आगामी बैठक में वह समस्त विभाग भी उपस्थित रहेंगें जिनके स्तर से आरसीएस स्कीम के अन्तर्गत शासनादेश निर्गत किए जाने हैं। समिति की बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 का कार्यवृत्त भी इन विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

4 / ...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-83/2017/1732/छप्पन-2017-71/13 टी0सी0-।।
लखनऊ : दिनांक : 02 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- बैठक में उपस्थिति समस्त अधिकारीगण।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/लोक निर्माण विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।